



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 8, शुक्रवार शाके 1941 अगस्त 30, 2019  
Bhadra 8, Friday, Saka 1941 August 30, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur August 14, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/ 7442.**-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal officer Municipal Board Mount Abu has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Mount Abu. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal officer.

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,  
**Joint Secretary to Governement.**

कार्यालय, आयुक्त, नगरपालिका-मण्डल, आबूपर्वत-सिरोही  
(प्रारूप-क)

वार्ड संख्या	वार्ड संख्या :-०१, क्षेत्र का विवरण
१	जयपुर पैलेस होटल, शिव कुटीर, स्केटींग रिंग, एवं आसपास के दुकानें, जोधपुर वकालात हाउस, सहायक अभियन्ता P.W.D ऑफिस, दुलेश्वर मंदिर, नक्की विहार होटल के आस पास के सभी मकान एवं दुकाने, रधुनाथ मन्दिर, गाँधी गार्डन, लेक हाउस से होते हुए, गोकुल भाई भट्ट, उद्यान, धोबी घाट, हनुमान मंदिर, रावण घाट, गणेश मन्दिर, झवेरी का बंगला, सैयद बाबा अहसान अली दरगाह, राजकिय मिनिस्टर कोटेज, सानन्द हाउस परिसर, लीमडी कोठी, कृद्गणा निवास एवं अधर देवी रोड पर उपरी भाग पर बने हुये समस्त झोंपडे व मकान, राजकीय अस्पताल, CRPF I.G. निवास से, सेन्ट जोसफ स्कूल, ब्रहमभट्ट होस्टल, होटल कृद्गणा, चपरासी लाईन के सम्पूर्ण मकान, होटल लेक पैलेस, दाँतला सी-वर्ड, रिवोल्वींग ड्रम-टॉवर, सुलभ-कॉम्प्लेक्स तक साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
२	पोकरण हाउस, राजयोग भवन, ज्ञान विज्ञान भवन, सोहन सिंह के मकान से होते हुए, दलपतसिंह का मकान, राजस्थान सर्किट हाउस, स्वामीनारायण धर्मशाला, CRPF आफिसर स्प्रिंग फिल्ड, मकान, होटल कामा रिसोर्ट, मुख्य सड़क पर धौलपुर हाउस के सामने का भाग का मकान, पुखराज दरजी का मकान, केन का मकान, मुकेश थिंगर का मकान, CRPF के मकान, Survey of India के नाला के समस्त मकान, SDM सहाब का बंगला, मिडहस्ट बंगला

	के तरफ का भाग, राजभवन परिसर का पूर्ण भाग डेल बंगला सीआरपीएफ का ऑफिसर मेस का भाग साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
४	कैस्टोलोजिक चर्च से बाजार का उपरी भाग, अनिल ऐरन के मकान से होते हुए, दीपक स्टोर से तिरूपती ईलेक्ट्रॉनिक्स तक, रमणलाल अग्रवाल की तरफ का समस्त भाग, पटवार भवन, उपखण्ड कार्यालय, जनता होटल, SBI बैंक तक का समस्त भाग, चुन्नु मियाँ के मकान से होते हुए संजय बाबा स्टोर के पिछे का भाग, नाज होटल से चलते हुए, रा.उ.मा.विद्यालय, द्रापिंग कॉम्प्लेक्स, अबुर्दा होटल, किचन पार्किंग, ब्रह्मकुमारी संग्रहालय, नगरपालिका कार्यालय, आकाश दीप होटल, रेल्वे गेस्ट हाउस तक का सम्पूर्ण भाग।
५	निर्मला स्कूल से चलते हुए मुख्य बाजार, अनिल ट्रांसपोर्ट वाले का मकान से चलते हुए, चम्पालाल जी की दुकान से तरफ का सम्पूर्ण भाग, S-CUBE की दुकान होते हुए, लक्ष्मी चंद अग्रवाल की दुकान, M.G.B होते हुए, विकास नगर का सम्पूर्ण भाग एवं पुरानी सब्जी-मण्डी का सम्पूर्ण भाग।
६	तुलेद्गा मेडिकल स्टोर से विजयकुमार की दुकान, मीट मॉर्केट, हरिश पंचाल के मकान से होते हुए, कबीर चाचा का मकान, चम्पा-कुंआ, द्रान्ति विजयजी पार्क, गुजरात होटल, प्रतापचन्द जी लोहार का मकान, माउन्ट गैस, मोदक भंडार होते हुए मिनाक्षी स्टोर तक का सम्पूर्ण भाग।
७	सनसेट रोड पर डॉ जसवन्त सिंह चौहान का मकान, डॉ हरीसिंह चौहान का मकान, सनसेट योजना के समस्त मकान, भैरूसिंह मास्टर के मकान से कैलाश कुटीर, पन्ना निवास, पटेल हॉस्टल, रूची प्लैट, केसर पैलेस, फोरेस्ट-वन विभाग कार्यालय/नर्सरी, होटल सवेरा पैलेस, होटल सनसेट-ईन का भाग लेते हुए अशोक वर्मा के मकान से सामने का भाग लेते हुए नाले के उपरी भाग के मकान, खोडीयार माता तक का भाग लेते हुए, अक्षय कोलोनी सड़क से उपरी भाग तक का सम्पूर्ण भाग साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
८	सन सेट पोइन्ट से कमला नेहरू उद्यान से विण्डर मेयर लेक, A.C.J.M कोर्ट एवं उसके पिछे के समस्त मकान एवं झोंपड़े, द्रान्ति विजय जी मंदिर एवं उसके उसके पास से माली कोलोनी की और जाने वाली रोड़ (सिढीयाँ) से होते हुए सम्पूर्ण माली कोलोनी एवं रेबारी वास के समस्त मकान, माली कोलोनी के पास की होस्टल से, शान्ती विजय जी गार्डन, सोफिया प्राईमरी स्कूल से होते हुए, ममता होटल, काबरा इन होटल, एवं मकान, चिश्ती हाउस, से तिब्बती मार्केट, क्रिश्चन कब्रिस्तान, होटल फलौरेन्स, सोफिया हाई स्कूल, देवकुंज होस्टल, गणेश होटल तक एवं उसके के पीछे के समस्त मकान, होटल जयपुर पैलेस के गेट तक एवं साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
९	फिल्टर हाउस कोलोनी, म्यूनिसिपल कोलोनी, १६ बंगलें,(राजगढ़) मोहनपुरा कॉलोनी का समस्त ईलाका, मगनजीस होटल, होटल अरावली होटल, हिल्लोक होटल, के पिछे का समस्त भाग, आर्दश कोलोनी, द्रमशान घाट तक साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए। होटल रॉयल पार्क के सड़क का उपरी भाग लेते हुए साधना भवन, गउमुख हनुमान जी का मन्दिर तक

	का सम्पूर्ण भाग साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
१०	चुन्नीलाल के मकान को लेते हुए कमल के मकान तक का सम्पूर्ण भाग, अशोक वर्मा के मकान से उपर का समस्त भाग, होटल माउन्ट व्यूह, होटल रंजना पैलेस, साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
११	अक्षय कोलोनी को लेते हुये महाराणा प्रताप होटल, वन्देमातरम होटल, शान्ति सदन का निचला भाग, बस-स्टैण्ड, पोलोग्राउन्ड, पाम-व्यू, होटल माया-इन्टरनेशनल, होटल सरस्वती, गुरुद्वारा, होटल सूर्य दर्शन, होटल मरुधर तक का समस्त भाग साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
१२	हेटम जी गाँव की सम्पूर्ण भाग की आबादी एवं एम.एम. माथूर का मकान से होते हुए, महेशराज पुरोहित का मकान, रा.प्रा.विद्यालय, सीतावन, टोपरर्स कॉर्नर, सेन्ट मेरी स्कूल के आसपास के मकान से होते हुए, होटल अराधना तक का समस्त भाग साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
१३	सिवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से होते हुए चौधरी कोलोनी, बड़ी दुढ़ाई, डागा गार्डन, चन्द्रकॉन्ट पडिण्या का मकान, बिजेन्द्र चौधरी का मकान, होटल आरण्या विलेज से होते हुए, छोटी दुढ़ाई के समस्त मकान, नीलकंठ मन्दिर के सामने का भाग, गोल्डन हिल बंगला दुढ़ाई के समस्त मकान साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
१४	होटल ग्रेट इण्डिया के पास के मकान, होटल चाचा इन के पिछे का समस्त भाग, अम्बेडकर कोलोनी एवं स्वास्तिक होटल के पीछे स्कूल जाने वाले रास्ते की तरफ का समस्त भाग एवं साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
१५	पेट्रोल पम्प, होटल विश्राम, रधुनाथ परिहार धर्मशाला, शिखर होटल तक का भाग, ईन्द्रा कोलोनी के सड़क का उपरी भाग एवं शिखर होटल के नीचे की तरफ का स्वास्तिक होटल तक रास्ते (स्कूल के सामने की तरफ का समस्त भाग) का सम्पूर्ण भाग साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
१६	ईन्द्रा कॉलोनी का सड़क के निचली तरफ का भाग, होटल माउन्ट रिजेन्सी, (डिप्टी ऑफिस की तरफ का भाग), होटल द्रोरेटोन, होटल मधुबन, होटल हिलटोन, पुलिस थाना, शांति-सदन तक का उपरी भाग, राजेन्द्र होटल, जनता कोलोनी तक का समस्त भाग साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
१७	काला छपरा के समस्त मकान, द्रांकर मठ के सामने का मकान, स्काउट गाफ़े ग्राउन्ड, फ्रैन्ड्स कोलोनी, का सम्पूर्ण भाग। रेल्वे पिचेज से होते हुए, बंजारा होटल, अशोका होटल, महावीर केन्द्र, से गणेश मार्ग, शिवाजी मार्ग, होटल सम्राट पुराना बस स्टैण्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा, मामा सब्जीवाला, सुधीर होटल, CRPF के ग्राउन्ड तक का सम्पूर्ण भाग साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।

१८	ऐयरफोर्स स्टेशन, होटल बीकानेर पैलेस, होली डे होम, होटल पालनपुर पैलेस, ग्लोबल हॉस्पिटल, अन्धजन विद्यालय, मुस्किल आसान, BSNL टेलिफोन एक्सेचेंज विभाग से होते हुए, द्रांकर मठ मन्दिर, चन्द्र महल, शांतिकुन्ज तक का सम्पूर्ण भाग साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
१९	गोरा छपरा स्कीम 'ए' एवं गोरा छपरा स्कीम 'बी' के समस्त मकान, शिव विला का भाग, रत्नेश्वर महादेव मन्दिर, मिलट्री स्टेशन का सम्पूर्ण भाग साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
२०	कुम्हारवाड़ा, राधेश्याम के मकान से होते हुए नाले के उपरी भाग तक का सम्पूर्ण भाग, साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
२१	जोगियों के मकान को लेते हुए नाले के नीचे का समस्त भाग लेते हुए, बिहारियों के मकान को लेते हुए नाले का निचला भाग से, गौड साहब ठेकेदार का मकान, आकाशवाणी केन्द्र, खेतसिंह राठौड का मकान, नीलकंठ मन्दिर, केन्द्रीय विद्यालय, महेन्द्र उमट का मकान, होटल सन एन्ड रॉक, तक का भाग साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
२२	आर्य गुरुकुल से होते हुए धमाणी के समस्त मकान को लेते हुए, पलबहादुर मकान से होते हुए, बेलाभाई के मकान की सीढी की तरफ तक के समस्त मकान, गोवा गांव का सम्पूर्ण भाग को लेते हुए, अलवर पैलेस (आर्दश विद्यामन्दिर-विद्यालय) को लेते हुए, तोरणा गांव लेते हुए, स्वामीनारायण स्कूल, रोटरी स्कूल, हिल व्यूह बंगला, जालमगिरी के आसपास के समस्त मकान, लालसिंह का मकान, ललितसिंह हुम्बड़ के खेत से होते हुए सड़क से नीचे के सभी मकान साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
२३	देलवाड़ा दिगम्बर जैन मन्दिर से आरम्भ होते हुए वहाँ के तक के समस्त मकानों को लेते हुए, बापू बस्ती की तरफ के सम्पूर्ण भाग जिसमें जुजाराम के मकान से होते हुए, जामतसिंह के मकान को लेते हुए, नवीन डिसूजा के मकान से होते हुए, नाग-मन्दिर को लेते हुए, किशनभाई के होटल तक का सम्पूर्ण भाग एवं नगाराम के मकान एवं मानाराम के मकान तक का सम्पूर्ण भाग साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
२४	न्यू देलवाड़ा का सम्पूर्ण जिसमें बाबूसिंह मास्टर के मकान से होते हुए, लक्षमण प्रजापत का मकान, भील कोलोनी जिसमें होतीलाल एवं द्रौलेद्गा तिवारी के मकान से होते हुए, कान्तिलाल मास्टर के मकान से चलते हुए, वीराराम का मकान, द्रौतानसिंह के मकान से होते हुए, रतनसिंह का मकान, देलवाड़ा राजकिय विद्यालय एवं संतोद्गा के मकान एवं बस-स्टेण्ड तक का समस्त भाग साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
२५	दानसिंह मास्टर के मकान की तरफ सड़क के नीचे का समस्त भाग, लाल मन्दिर, ट्रैवर्स टैंक, बालियों की चौकी (उत्तरायण तक), देलवाड़ा जैन मन्दिर, जैन भोजनशाला, पार्किंग के अन्दर के समस्त मकान, कुंवारी कन्या मन्दिर, बाबूभाई प्रजापत मकान, प्रेमसिंह का मकान, विक्रमसिंह का मकान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), स्टाफ-क्वार्टर्स, नित्यानन्द-आश्रम, जोगमाया भारती-मंदिर, आंजणा-समाज छात्रावास, सेन्ट राज-राजेश्वर

	विद्यालय, ज्ञान-गुफा हनुमान मंदिर, संत-सरोवर से होते हुए, व्यास का मकान, एवं अधरदेवी तक के समस्त मकान साथ ही वन-विभाग की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए।
--	---

आयुक्त नगरपालिका मण्डल  
आबूपर्वत,(जिला-सिरोही)

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।